



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10022021-225032
CG-DL-E-10022021-225032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2021/माघ 20, 1942

No. 537]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2021/MAGHA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

का.आ. 589(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3053(अ), तारीख 2 सितम्बर 2020, भारत के राजपत्र सं. 2717 – तारीख 9 सितम्बर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील औरछा जिला निवाड़ी राज्य मध्य प्रदेश में एल.पी.जी गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 06 नवम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची

तहसील : औरछा

जिला: निवाड़ी

राज्य: मध्य प्रदेश

गांव का नाम	खसरा नं./ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे.	वर्ग.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जनौली	430	00	05	50
	429	00	00	37
	364	00	09	14
	365	00	00	04
	363	00	02	79
	362	00	07	91
	361	00	03	04
	373	00	08	83
	380	00	00	73
	352/2	00	01	58
	352/1	00	09	64
	268	00	02	31
	351	00	02	31
	349	00	18	87
	269	00	19	46
	273	00	09	17
	274	00	01	86
	272	00	01	21
	277	00	03	29
	276	00	02	29
	39	00	02	32
	37	00	15	41
	38	00	04	24

गांव का नाम	खसरा नं./ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	आरे.	वर्ग.मी.
	46	00	04	65
	36	00	10	57
	35	00	16	89
	14/2/3	00	08	96
	14/2/2	00	07	43
	14/2/4	00	02	05
	14/2/5	00	09	17
	14/2/7	00	00	37
	14/2/6/1	00	04	47
	14/2/8	00	04	08
	11	00	14	18
	10	00	10	05
	8	00	17	68

[फा. सं. आर.-11025(15)/5/2020-ओआर-1/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2021

S.O. 589(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No 3053 (E) Dated 2 September 2020 published in the Gazette of the India Gazette No. 2717 dated 9 September 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG Gas Pipeline Crude Oil in tehsil Orchha District Niwari In the State of Madhya Pradesh by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 06 November 2020 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL: Orchha****DISTRICT: Niwari****STATE: MADHYA PRADESH**

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JANOLI	430	00	05	50
	429	00	00	37
	364	00	09	14
	365	00	00	04
	363	00	02	79
	362	00	07	91
	361	00	03	04
	373	00	08	83
	380	00	00	73
	352/2	00	01	58
	352/1	00	09	64
	268	00	02	31
	351	00	02	31
	349	00	18	87
	269	00	19	46
	273	00	09	17
	274	00	01	86
	272	00	01	21
	277	00	03	29
	276	00	02	29
	39	00	02	32
	37	00	15	41
	38	00	04	24
	46	00	04	65
	36	00	10	57
	35	00	16	89
	14/2/3	00	08	96
	14/2/2	00	07	43
	14/2/4	00	02	05
	14/2/5	00	09	17
	14/2/7	00	00	37
	14/2/6/1	00	04	47
	14/2/8	00	04	08
	11	00	14	18
	10	00	10	05
	8	00	17	68

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.